समाचार

क्षेत्र के विकास व समस्याओं के निराकरण हेतु सतत प्रतिबद्धता –महापौर

(नवनिर्मित सामुदायिक भवन को जनसेवा में समर्पित किया महापौर ने)

कोरबा 24 अगस्त 2015 –महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने आज कहा कि निगम क्षेत्र के सभी वार्डो व बस्तियों के विकास तथा आमनागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु सतत रूप से मेरी प्रतिबद्धता है एवं इस दिशा में बिना किसी भेदभाव के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किये जा रहे हैं। उन्होने कहा कि निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो में जनता जनार्दन की इच्छा तथा उनकी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जा रही है।

उक्ताशय के विचार महापौर श्रीमती अग्रवाल ने वार्ड क्र. 43 में आयोजित सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किये। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा दर्री जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्र. 43 हसदेव क्र.–1 श्यामनगर सिंचाई कालोनी बस्ती में 15 लाख रूपये की लागत से सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। आज महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने उक्त भवन का लोकार्पण किया। उन्होने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण एवं फीता काटकर उक्त सामुदायिक भवन को जनसेवा में समर्पित किया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि निगम द्वारा वार्ड एवं बस्तियों में विकास कार्यो के संपादन प्रारंभ कर दिये गये हैं तथा इन कार्यो में आमनागरिकों की इच्छा एवं उनकी वास्ताविक आवश्यकता को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। उन्होने कहा कि शीघ्र ही काफी संख्या में नये विकास कार्य निगम द्वारा प्रारंभ किये जाने हैं, इन कार्यो की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं तथा शीघ्र ही वार्डो एवं बस्तियों में इन विकास कार्यो की शुरूआत कर दी जाएगी। निगम की सफाई व्यवस्था व साफ–सफाई कार्यो की चर्चा करते हुए, उन्होने कहा कि बेहतर सफाई हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि बेहतर सफाई व्यवस्था हेतु जनसहयोग भी अत्यंत आवश्यक है, जनसहयोग से सफाई व्यवस्था को बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है। उन्होने बस्तीवासियों से आग्रह किया कि वे घरों से निकले कचरे को नालियों में न डाले, उन्हें निर्धारित स्थल पर ही डाले तथा साफ–सफाई कार्यो में अपना सहयोग प्रदान करें। इस मौके पर पूर्व सभापति संतोष राठौर ने कहा कि महापौर श्रीमती अग्रवाल द्वारा निगम क्षेत्र के सभी वार्डो में आवश्यकतानुसार नये विकास कार्य प्रारंभ कराये जा रहे हैं, जिसके लिए मैं महापौर जी को धन्यवाद व बधाई देता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी के शहर जिलाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि महापौर श्रीमती अग्रवाल द्वारा आज इस बस्ती में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया गया है, सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु इस भवन का उपयोग हो सकेगा, निश्चित रूप से एक अच्छा भवन यहां के नागरिकों को उपयोग हेतु प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन मेयर इन काउंसिल सदस्य सुनील पटेल द्वारा किया गया तथा वार्ड पार्षद वीरसाय धनुवार ने कार्यक्रम का संचालन किया।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य सुनील पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी के शहर जिलाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद, पूर्व सभापति संतोष राठौर, पार्षद वीरसाय धनुवार व विनीत एक्का, महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव कुसुम द्विवेदी, महिला सेवादल जिलाध्यक्ष ममता अग्रवाल, रमेश नवरंग, निगम के अधीक्षण अभियंता एम.के. वर्मा, सहायक अभियंता अखिलेश शुक्ला, उप अभियंता यशवंत जोगी, राजस्व अधिकारी अशोक बनाफर, स्वच्छता निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह, स्वच्छता पर्यवेक्षक ढेलूराम देवांगन, चन्द्रकांत यादव, प्रमिला गुप्त, कोमल दुबे, सपना बंजारे, उमा बाई, धनबाई चौहान आदि के साथ काफी संख्या में बस्तीवासी उपस्थित थे।

समाचार

मूर्ति निर्माण में अघुलनशील सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित

(मूर्तियों की ऊंचाई निर्धारित, एन.जी.टी.के आदेश का पालन अनिवार्य)

कोरबा 25 अगस्त 2015 –विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वो पर मूर्तिकारों द्वारा निर्मित की जाने वाली मूर्तियों के निर्माण में अघुलनशील सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, अर्थात मूर्ति निर्माण में ऐसी मिट्टी का उपयोग हो जो घुलनशील हो, इसके साथ ही मूर्तियों की ऊंचाई भी निर्धारित की गई है, जिसका पालन किया जाना आवश्यक है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा 09 मई 2013 को पारित आदेश के बिन्दु क्रमांक 49 में मूर्तिकार द्वारा त्यौहारों के अवसरों पर निर्मित की जाने वाली मूर्तियों की ऊंचाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जिन स्थानों में मूर्तियों का विसर्जन समुद्र में किया जाता है, वहां निर्मित की जाने वाली मूर्तियों की ऊंचाई 08 से 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, किन्तु जिन स्थानों में मूर्तियों का विसर्जन तालाब आदि में किया जाता है उन स्थानों में निर्मित व स्थापित की जाने वाली मूर्तियों की ऊंचाई 05 फीट से

अधिक न हो। पर्यावरण संरक्षण एवं जल प्रदूषण रोकने की दिशा में मूर्तियों की ऊंचाई निर्धारण के साथ–साथ मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी, सामग्री एवं रंगों के प्रयोग के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश है, इन निर्देशों का पालन आवश्यक है। मूर्तियों के निर्माण में ऐसी मिट्टी का उपयोग होना चाहिए जो पानी में घुलनशील हो, ऐसे रंग उपयोग में लाए जाने चाहिए जो इको फ्रेण्डली हो तथा जिनसे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, साथ ही मूर्ति निर्माण में प्लास्टर आफ पेरिस तथा अन्य अघुलनशील सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मूर्तिकारों से कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के बिन्दु क्र. 49 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित करें, निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

संपादकव्यूरोचीफ.....
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)